

राजस्थान सरकार



सत्यमेव जयते

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक 10 /राजसमन्द/2003

- 200 4

यह प्रमाणित किया जाता है कि राजसमन्द जन

विकास संस्थान

जिला राजसमन्द का राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत संस्था रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण पत्र मेरे हस्ताक्षर और कार्यालय की सील से आज

दिनांक...19..... माह...मई..... सन् दो हजार...तीन..... को राजसमन्द में दिया गया।




(मुन्नाबाबु मीणा)
रजिस्ट्रार संस्थाएं
राजसमन्द